न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 1895/2017

वादी :- बनाम प्रतिवादी :-

हरलालसिंह वल्द सालुसिंह के
कायम मुकाम :-
1. गोरधनसिंह पुत्र हरलालसिंह
2. सुरजकंवर पुत्र हरलालसिंह
जातियान- राजपुरोहित,
निवासीगण- बिकरलाई
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

1. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, जैतारण, जिला-पाली
(राज.)

राजस्व वाद बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 LR Act.

तारीख रजू:. 20/12/2017

उपस्थितः-

1. श्री चावण्डदान चारण, अधिवक्तागण, वादी।
2. तहसीलदार जैतारण

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 22/06/2018

वकील मय प्रार्थीया ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत 136 LR Act. के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा-बिकरलाई तहसील जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 107 रकबा 0-03 बीघा किस्म गै.मु., खसरा नम्बर 108 रकबा 0-02 बीघा किस्म गै.मु बेरा व खसरा नम्बर 397 रकबा 7-13 बीघा किस्म बारानी अव्वल कुल खसरा नम्बर 3 रकबा 7-18 बीघा भूमि स्थित है। वक्त सेटलमेंट के बाद उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थीगण के दादा सालुसिंह वल्द सिमरथसिंह रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार थे तत्पश्चात् सालुसिंह वल्द सिमरथसिंह का देहान्त हो जाने पर बतौर फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 98 उनके विधिक उत्तराधिकारी बागसिंह, हरलालसिंह, पेमसिंह, शिवसिंह, रामसिंह पिसरान सालुसिंह के नाम भरा गया, उक्त नामान्तरण संख्या 98 की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। तत्पश्चात् जमाबंदी खतौनी संवत् 2023-2026 में सालुसिंह के स्थान पर उनके पांचो संतानों के नाम बतौर खातेदार काश्तकार के जारी की गई उक्त जमाबंदी खतौनी संवत् 2023-2026 की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। सरहद मौजा बिरकलाई तहसील जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 104 रकबा 1-15 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 110 रकबा 1-10 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 199 रकबा 5-08 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 325 रकबा 2-19 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 417 रकबा 5-13 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 474 रकबा 1-19 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 416 रकबा 0-03 बीघा किस्म गै.मु. कुल खसरा नम्बर 09 कुल रकबा 26-14 बीघा भूमि स्थित है वक्त सेटलमेंट के बाद उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थीगण के दादा सालुसिंह वल्द सिमरथसिंह रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार थे। तत्पश्चात् सालुसिंह वल्द सिमरथसिंह का देहान्त हो जाने पर बतौर फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 99 उनके विधिक उतराधिकारी बागसिंह, हरलालसिंह, पेमसिंह, शिवसिंह, रामसिंह पिसरान सालुसिंह के नाम भरा गया, उक्त नामान्तरण संख्या 99 की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। तत्पश्चात् जमाबंदी खतौनी संवत्

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

2023–2026 में सालुसिंह के स्थान पर उनके पांचों संतानों के नाम बतौर खातेदार काश्तकार के जारी की गई, उक्त जमाबंदी खतौनी संवत् 2023–2026 की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक एवं दो में वर्णित कृषि भूमि सालुसिंह वल्द सिमरथसिंह के जरिये फौतेदगी म्यूटेशन के उनके विधिक उत्तराधिकारी के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद की गई, तत्पश्चात् संवत् 2027–2030 जमाबंदी खतौनी के दौरान तत्त्कालीन हल्का पटवारी के लिपिकीय त्रुटि व सहवन से सालुसिंह का विधिक उत्तराधिकारियों में से प्रार्थीगण के पिता हरलालसिंह वल्द सालुसिंह का नाम दर्ज नहीं हुआ, जबकि सालुसिंह के देहान्त बाद उनके हक हिस्से की उपर्युक्त वर्णित कृषि भूमि में उनके पांचों उत्तराधिकारियों का बराबर हक हिस्सा है एवं हिस्सानुसार सभी कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण के पिता हरलालसिंह वल्द सालुसिंह का देहान्त हो चुका है उनके देहान्त के पश्चात् उनके विधिक उत्तराधिकारी प्रार्थीगण के अलावा अन्य कोई नहीं है। प्रार्थीगण अपने पिता हरलालसिंह के देहान्त के बाद उपर्युक्त वर्णित कृषि भूमि में अपना नाम दर्ज करवाने हेतु दिनांक 5/12/2017 को हल्का पटवारी से मिले, तब राजस्व रेकर्ड देखने पर सर्वप्रथम प्रार्थीगण को जानकारी हुई कि तत्त्कालीन पटवारी के सहवन/त्रुटि के कारण संवत् 2027–2030 में प्रार्थीगण के पिता हरलालसिंह का नाम दर्ज नहीं हुआ, तब से लेकर आज दिन तक राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज ही चला आ रहा है। इस पर प्रार्थीगण ने उपर्युक्त वर्णित कृषि भूमि में हरलालसिंह वल्द सालुसिंह के विधिक उत्तराधिकारी के तौर पर एवं खातेदार काश्तकार मौके पर कब्जा काश्त अनुसार राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज करवाने हेतु तहसीलदार जैतारण व हल्का पटवारी को कही बार निवेदन किया गया, मगर प्रार्थीगण के बार–बार तकाजा करने के उपरान्त भी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना ही राजस्व रेकर्ड में गलत प्रविष्टि को दुरुस्त करने से साफ मना कर दिया, इसलिए प्रार्थीगण श्रीमान् के समक्ष राजस्व रेकर्ड/जमाबंदी खतौनी में गलत प्रविष्टि को दुरुस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा है।

इस प्रकार प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर माफिक प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस वास्ते जबाब प्रा. पत्र तलब किया गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–रामावासकलां में पेश हुई। अप्रार्थी तहसीलदार जैतारण / पटवारी हल्का ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि ग्राम–बिकरलाई के खसरा नम्बर 104 रकबा 1–15 बीघा खसरा नम्बर 110 रकबा 1–10 बीघा, खसरा नम्बर 199 रकबा 5–08 बीघा, खसरा नम्बर 325 रकबा 2–19 बीघा, खसरा नम्बर 417 रकबा 5–13 बीघा, खसरा नम्बर 437 रकबा 5–12 बीघा, खसरा नम्बर 474 रकबा 1–19 बीघा, खसरा नम्बर 26 रकबा 1–15 बीघा, खसरा नम्बर 416 रकबा 0–03 बीघा कुल खसरा 9 कुल रकबा 26–14 बीघा तथा खसरा नम्बर 107 रकबा 0–03 बीघा, खसरा नम्बर 108 रकबा 0–02 बीघा तथा खसरा नम्बर 397 रकबा 7–13 बीघा कुल खसरा 3 कुल रकबा 7–18 बीघा की भूमि में वादी के दादाजी सालुसिंह वल्द सिमरथसिंह का नाम दर्ज रेकर्ड था। सालुसिंह वल्द सिमरथसिंह के फौत होने पर फौतेदगी नामान्तरण संख्या 98 व 99 भरे गये जिसमें बागसिंह, हरलालसिंह, पेमसिंह, शिवसिंह, रामसिंह पिता सालुसिंह के नाम नामान्तरण दर्ज हुआ। संवत् 2027–2030 की चौसाला जमाबंदी बनाते समय हरलालसिंह पुत्र सालुसिंह का नाम लिपिकीय त्रुटि से लिखने से छूट गया जो लगातार आज दिनांक तक छूटा हुआ चल रहा है। मजमें आम में पूछताछ करने पर मौतबिरान ने बताया कि हरलालसिंह पुत्र सालुसिंह की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए स्व. हरलालसिंह के वारिसान का उक्त वर्णित आराजी के खसरा नम्बर 104, 110, 199, 325, 417,

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

437, 474, 26, 416 कुल खसरान 9 कुल रकबा 26-14 बीघा तथा खसरा नम्बर 107, 108, 397 कुल खसरा 3 कुल रकबा 7-18 बीघा में बतौर खातेदार नाम जोड़ना उचित है।

पत्रावली मय दस्तावेजात एवं जबाबा प्रार्थना पत्र का गहनता से अध्ययन किया गया। वस्तुतः उक्त विवादित आराजी पैतृक पुश्तेनी हैं। प्रार्थीगण के दादा सालुसिंह वल्द सिमरथसिंह के फौत होने पर फौतेदगी नामान्तरण संख्या 98 व 99 भरे गये जिसमें बागसिंह, हरलालसिंह, पेमसिंह, शिवसिंह, रामसिंह पिता सालुसिंह के नाम नामान्तरण दर्ज हुआ। संवत् 2027-2030 की चौसाला जमाबंदी बनाते समय हरलालसिंह पुत्र सालुसिंह का नाम लिपिकीय त्रुटि से लिखने से छूट गया जो लगातार आज दिनांक तक छूटा हुआ चल रहा है। मजमें आम में पूछताछ करने पर मौतबिरान ने बताया कि हरलालसिंह पुत्र सालुसिंह की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थीगण ही हरलालसिंह के वारिसान हैं। इसलिए स्व. हरलालसिंह के वारिसान का उक्त वर्णित आराजी के खसरा नम्बर 104, 110, 199, 325, 417, 437, 474, 26, 416 कुल खसरान 9 कुल रकबा 26-14 बीघा तथा खसरा नम्बर 107, 108, 397 कुल खसरा 3 कुल रकबा 7-18 बीघा में हरलालसिंह पुत्र सालुसिंह के का. मु. प्रार्थीगण गोरधनसिंह एवं सुरजकवंर का बतौर खातेदार नाम जोड़ना उचित समझते है।

-:: आदेश ::-

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता राजस्व मौजा-बिकरलाई, पटवार हल्का-रामावासकलां, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.) में खसरा नम्बर 104 रकबा 1-15 बीघा खसरा नम्बर 110 रकबा 1-10 बीघा, खसरा नम्बर 199 रकबा 5-08 बीघा, खसरा नम्बर 325 रकबा 2-19 बीघा, खसरा नम्बर 417 रकबा 5-13 बीघा, खसरा नम्बर 437 रकबा 5-12 बीघा, खसरा नम्बर 474 रकबा 1-19 बीघा, खसरा नम्बर 26 रकबा 1-15 बीघा, खसरा नम्बर 416 रकबा 0-03 बीघा कुल खसरा 9 कुल रकबा 26-14 बीघा तथा खसरा नम्बर 107 रकबा 0-03 बीघा, खसरा नम्बर 108 रकबा 0-02 बीघा तथा खसरा नम्बर 397 रकबा 7-13 बीघा कुल खसरा 3 कुल रकबा 7-18 बीघा की भूमि में हरलालसिंह पुत्र सालुसिंह के का. मु. प्रार्थीगण गोरधनसिंह एवं सुरजकवंर का बतौर खातेदार नाम जोड़ने का आदेश दिया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला. पाली)

निर्णय आज दिनॉक 22/06/2018 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-रामावासकलां में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला. पाली)

Scanned by CamScanner